(17)

05/3/12

आयोजनेत्तर

संख्या 181 /XI/2012/56(32)2011

प्रेषक,

विनोद फोनिया
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त
ग्राम्य विकास निदेशालय
उत्तराखण्ड, पौड़ी।

ग्राम्य विकास अनुभाग, देहरादून। दिनांक : 5 फरवरी, 2012

विषय :— वेतन में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 3575/5—बजट/आयोजनेत्तर/2011—12 दिनांक 07.02.2012 एवं शासनादेश संख्या 677/XI/2011/56(32)2011 दिनांक 11.4.2011 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2011—12 के आयोजनेत्तर पक्ष के अन्तर्गत बी०एम०—15 प्रपत्र के स्तम्भ—1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक की मानक मद में आपके निर्वतन पर रखी गयी धनराशि के सापेक्ष स्तम्भ—4 की अवशेष सरप्लस धनराशि को स्तम्भ—5 में उल्लिखित उसी लेखाशीर्षक की मानक मद—01 — वेतन मद में रू० 100.00 लाख (रूपये एक करोड़ मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत कर आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं नियमानुसार व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:—

1. निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि की फाँट आयुक्त, ग्राम्य विकास, पौड़ी द्वारा अविलम्ब कर धनराशि सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों के निवर्तन पर नियमानुसार व्यय हेतु रखा जाना सुनिश्चित करेंगे।
2. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि निवर्तन पर रखी गयी धनराशि तत्काल आहरण वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशियों का विवरण निर्धारित प्रपत्र बी०एम०—17 पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
3. बजट प्राविधानित के किसी भी लेखाशीर्षक/मानक मद के अन्तर्गत प्राविधान/स्वीकृति की सीमा तक की व्यय किये जाने हेतु प्राधिकृत किया जाता है। अतः बजट प्राविधान/स्वीकृति से अधिक किसी भी दशा में न व्यय किया जाय

और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाय।

4. प्रश्नगत मानक मदों के अन्तर्गत धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियम, उत्तराखण्ड प्रॉक्योरमेन्ट रूल्स, 2008 तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
5. जो बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जायें, उनमें स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के साथ सम्बन्धित अनुदान संख्या का उल्लेख अवश्य किया जाय।
6. विभाग में स्वीकृतियों का रजिस्टर रखा जाय और प्रत्येक माह की स्वीकृति/व्यय सम्बन्धी सूचना अद्यतन करते हुए तत्सम्बन्धी आख्या निर्धारित प्रपत्रों पर शासनादेशों की प्रतियों सहित वित्त एवं नियोजन विभाग के साथ प्रशासकीय विभाग को उपलब्ध करायेंगे।
7. निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का उपयोग दिनांक 31.3.2012 तक अवश्य कर लिया जाय।
8. पुनर्विनियोग द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का किसी भी दशा में समर्पण स्वीकार नहीं किया जाएगा।
9. वित्तीय स्वीकृतियों के समय व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय और यदि मामले में सीमाधिक व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे वित्त विभाग के संज्ञान में लाया जाय। बी०एम० 13 पर नियमित रूप से सूचना प्रत्येक माह की 05 तारीख पर उपलब्ध करायी जाय।

2– इस सम्बन्ध होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक के अधीन अनुदान संख्या–19 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–102–सामुदायिक विकास–आयोजनेत्तर–03–अधिष्ठान की मानक मद 01–वेतन मद के नामें डाला जायेगा तथा संलग्न बी०एम० 15 के कॉलम–1 की मानक मदों की बचतों से वहन किया जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 242(NP)/XXVII–4/2012 दिनांक 28 फरवरी, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक – यथोपरि।

भवदीय,

(विनोद कोनिया)
सचिव।

संख्या : /XI/2012/56(32)2011 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) कार्यालय महालेखाकार, वैभव पैलेस, 9 सी–1, /105, इन्दिरा नगर, देहरादून।

सं० 181/x1/12

2. महालेखाकार, (ए एण्ड ई), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. मसमस्त ुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, कोषागार एवं वित्त लेखा, उत्तराखण्ड।
8. एन०आई०सी० सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
10. गार्ड फाईल।

संलग्नक – यथोपरि।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र पाल सिंह)
उप सचिव।

बी०एम० – 15

(पैरा–156)

प्रशासकीय विभाग – ग्राम्य विकास

वित्तीय वर्ष 2011–12 अनुदान संख्या – 19 आयोजनेत्तर

(धनराशि हजार रू० में)

प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण	मानक मदवार अध्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष की अवशेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष सरप्लस धनराशि	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है तथा स्थानान्तरित धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	पुनर्वियोग के बाद अवशेष धनराशि (स्तम्भ–1 में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
अनुदान संख्या – 19 आयोजनेत्तर 2515– अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम 102 – सामुदायिक विकास 03 – अधिष्ठान 06 अन्य भत्ता रू० 42900	26310	6590	10000	अनुदान संख्या – 19 आयोजनेत्तर 2515– अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम 102 – सामुदायिक विकास 03 – अधिष्ठान 01 वेतन रू० 10000	400000	32900	मानक मद 06 में धनराशि बचत होने के कारण मानक मद – 01 में पुनर्विनियोग किया जा रहा है ताकि माह जनवरी एवं फरवरी का वेतन आहरित किया जा सके।
योग – रू० 42900	26310	6590	10000	योग – रू० 10000	400000	32900	

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के परिच्छेद 150, 151, 155, 156 में उल्लिखित प्राविधानों का उल्लघंन नहीं होता है।

(वीरेन्द्र पाल सिंह)
उप सचिव

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग – 4
संख्या : 243/XXVII–4/2012
देहरादून दिनांक 28 फरवरी, 2012

पुनर्विनियोग स्वीकृत।

(रमेश चन्द्र लोहनी)
अपर सचिव, वित्त

सेवा में,

1– महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) कार्यालय, महालेखाकार, वैभव पैलेस, सी– 1/105, इन्दिरा नगर, देहरादून।

2– महालेखाकार (ए एण्ड ई), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून।

संख्या : 181 /XI/2012 56(32) 2011 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. आयुक्त, ग्राम्य विकास, पौड़ी।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र पाल सिंह)
उप सचिव